न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 51/2019 (2019/00137) वादपत्र
1. भागु पिता भुरा बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. जयराम पिता भुरा बलाई निवासी भीटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. डालु पिता भुरा बलाई निवासी भीटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैक शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक रायपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, राज0 टी0 एक्ट

उपस्थित

1—फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता वादी

निर्णय — दिनांक 03.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 24.12.2019 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भींटा पटवार हल्का भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के सयुंक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे आराजियात संख्या 505 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 506 रकबा 0.71 है0, आराजी संख्या 507 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 508 रकबा 0.03 है0, गैमु. आचा कुल किता 4 कुल रकबा 1.30 है0 भूमि खाता संख्या 95 पर दर्ज होकर स्थित है। आराजी संख्या 508 रकबा 0.03 हे0गै0मु0आचा को सामलाती रखते हुए एवं रहन का इन्द्राज यथावथ रखते हुए वादी का 1/3 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोड्स के आधार पर स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 02.03.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी के अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

मुकदमा नम्बरः– 51/2019 (2019/00137) वादपत्र

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भींटा पटवार हल्का भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 505/1 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 506/1 रकबा 0.33 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि जयराम पिता भुरा बलाई सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 505/3 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 506/3 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 507 रकबा 0.26 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.42 है0 भूमि डालु पिता भुरा बलाई सा. देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 503/2 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 506/2 रकबा 0.32 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 है0 भूमि भागु पिता भूरा बलाई सा0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 508 रकबा 0.03 है0 गेमुआचा को सामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3.3.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 51/2019 (2019/00137) वादपत्र
1. भागु पिता भुरा बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. जयराम पिता भुरा बलाई निवासी भीटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. डालु पिता भुरा बलाई निवासी भीटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैक शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक रायपुर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, रा0 टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्ते इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भींटा पटवार हल्का भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 505/1 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 506/1 रकबा 0.33 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि जयराम पिता भुरा बलाई सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 505/3 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 506/3 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 507 रकबा 0.26 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.42 है0 भूमि डालु पिता भुरा बलाई सा. देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 503/2 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 506/2 रकबा 0.32 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 है0 भूमि भागु पिता भूरा बलाई सा0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 508 रकबा 0.03 है0 गेमुआचा को सामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 03.03.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

3.3.2020
(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.12 15:35:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: